



वैश्वीकरण एवं अनुसूचित जाति का सामाजिक एवं आर्थिक विकास

प्रो. रावेन्द्र सिंह पटेल

सहायक प्राध्यापक— अर्थशास्त्र

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना (म.प्र.)485001

प्रस्तावना :-

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ, विभिन्न धर्म एवं जाति के लोग निवास करते हैं। भारतीय समाज तभी उन्नतशील हो सकता है जब संपूर्ण समाज स्वास्थ्य एवं कुशल हो। लेकिन आज भी हमारे समाज का एक तबका, लाचार, अशिक्षित, निर्धन एवं विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है और वह तबका कोई और नहीं अनुसूचित जाति है, जिसे दलित भी कहा जाता है।

दलित समाज एक ऐसा समाज है जिसके विकास को वर्णवादी व्यवस्था ने कुचल दिया था और जिसके चलते वह आज भी लाचार है। इनके विकास के लिए कानून के कुछ प्रावधान किए गये हैं तथा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य भी किए जा रहे हैं, जिससे काफी हद तक इनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सुधार भी हुआ है।

आज वैश्वीकरण का दौर चल रहा है और यदि हम यह कहे कि वैश्वीकरण हमारे रग-रग में समा गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैश्वीकरण की नीति ने वेशक पूँजी के प्रवाह को सुगम बनाया है किन्तु उसने पूँजी को सर्वोच्च मूल्य स्थापित करने के साथ-साथ मुनाफे की संस्कृति को नया आधार भी दिया है। पूँजी का प्रवाह पूँजीपति से आम आदमी को जाना चाहिए था, किन्तु वैसा न होकर वह पूँजी की ओर ही पहले से कहीं अधिक गतिमान हुआ है। पूँजी के प्रभाव ने सारे सामाजिक और मानवीय मूल्यों को ध्वस्त कर अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। व्यक्ति जो जीवन की सभी इकाइयों में सबसे ज्यादा ताकतवर और मूल्यवान होना चाहिए, पूँजी के प्रभाव के समझ बौना हो गया है। पूँजी और ब्रेन के गठजोड़ ने श्रम और श्रमिक को जिस तरह अपना गुलाम बनाया है वैश्वीकरण की यह सबसे बड़ी उपलब्धि या त्रासदी कही जाएगी। पूँजीपतियों के लिए उपलब्धि एवं श्रमिकों के लिए त्रासदी, पूँजी व ब्रेन (बौद्धिकता) के गठजोड़ का ही परिणाम है। कृषि प्रधान भारत में सबसे अधिक खेतिहर, कृषि मजदूर, मील मजदूर, बधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के लोग हैं। वैश्वीकरण के चलते जहाँ एक ओर पूँजीपति वर्ग फल-फूल रहा है वहीं दूसरा वर्ग (अनुसूचित जाति का वर्ग) अपना विकास करने में असमर्थ दिख रहा है अर्थात् उसका विकास अवरुद्ध होता दिखाई पढ़ रहा है। आज भी अनुसूचित जाति के 80

प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने परम्परागत व्यवसाय में संलग्न हैं। लेकिन वैश्वीकरण के चलते इनके परम्परागत व्यवसाय नष्ट हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप इनका रोजगार छिन गया है एवं निर्धनता चक्र से उभरने का काम सरकार भी प्रभावी तरीके से नहीं कर रही है बल्कि निर्धनता को बढ़ाने वाली वैश्वीकरण की नीति का निरंतर समर्थन कर रही है।

शोध के उद्देश्य –

सतना जिले के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. वैश्वीकरण का अनुसूचित जाति के आय, व्यय एवं रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. वैश्वीकरण का अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रहन-सहन पर प्रभाव का अध्ययन।
3. वैश्वीकरण का अनुसूचित जाति की कृषि पर प्रभाव का अध्ययन।
4. वैश्वीकरण का अनुसूचित जाति के परम्परागत व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
5. वैश्वीकरण का समाज की बढ़ती विषमता एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के उभरते आयामों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि–

प्रस्तुत शोध में अध्ययन की समस्या एवं अनुसंधान की सीमाओं व साधनों को दृष्टिगत रखते हुए सतना जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य सोहावल विकासखण्ड को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। अध्ययन के लिए 100 परिवारों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। एक ही चूल्हे में जितने सदस्यों का भोजन बनता है, उसे एक परिवार माना गया है। यह चयन अध्ययन की समस्या एवं उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार किया गया है कि निकाला गया निदर्श अपने समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके।

यह अध्ययन मूलतः प्राथमिक समंको पर आधारित है लेकिन अध्ययन में द्वितीय समंको का भी सहारा लिया गया है। प्राथमिक समंको के संकलन हेतु प्रश्नावली, अनुसूची एवं समूह चर्चा विधि का प्रयोग कर शोध कार्य पूर्ण किया गया है।

वैश्वीकरण का अनुसूचित जाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव –विश्लेषण एवं निष्कर्ष –

भारतीय समाज व्यवस्था में विवाह का विशेष महत्व है। बच्चे पैदा करना एवं उनका विवाह करना जिन्दगी का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह बात सतना जिले के अनुसूचित जातियों में देखी जा सकती है। शोध अध्ययन में पाया गया कि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह 10 वर्ष की कम उम्र में तथा 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह 11–15 वर्ष के बीच हुआ था। 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह 15 वर्ष से कम आयु में हो गया था। वहीं दूसरी ओर इनके बच्चों के बारे में पूछा की आप इन बच्चों की शादी किस उम्र में करेंगे तो 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि हम इनकी शादी 20 वर्ष के बाद ही करेंगे।

चूँकि उत्तरदाताओं की शादी बाल अवस्था में हो जाने के बावजूद भी वह अपने बच्चों की शादी युवा अवस्था में करना चाहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण से अनुसूचित जाति के लोगों में विवाह संबंधी जागरूकता आयी है।

- अध्ययन में पाया गया कि 60 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर थे तथा 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं की शिक्षा माध्यमिक स्कूल तक ही हुई थी। वहीं दूसरी ओर जब इनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को किस कक्षा तक पढ़ाना चाहते हैं तो 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि हम 10वीं से भी अधिक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अर्थात् उनमें पढ़ाने की तीव्र इच्छा है जो वर्तमान में और भी अधिक बलवती होती जा रही है। अतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के कारण इनके शिक्षा संबंधी जागरूकता में तीव्र वृद्धि हो रही है।
- अध्ययन में पाया गया कि आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने से कृषि उत्पादन में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- अध्ययन में पाया गया कि 1991 में जब उत्तरदाता पुरानी कृषि तकनीक अपनाते थे तब कृषि में एक फसल और दो फसल लेने वाले 50 प्रतिशत लोग थे लेकिन आज (नवीन कृषि तकनीक के उपयोग के समय) दो फसली व तीन फसली कृषि करने वाले 70 प्रतिशत लोग हो गये हैं अतः 20 प्रतिशत लोग आधुनिक कृषि के उपयोग से दो फसली एवं तीन फसली कृषि करने लगे हैं। अर्थात् 20 प्रतिशत लोग दो फसली एवं तीन फसली कृषि करने वाले लोगों में शामिल हो गये हैं।
- 1991 में मात्र 25 प्रतिशत लोग ही पूरी जमीन पर कृषि कर पाते थे लेकिन आज आधुनिक कृषि को अपनाने से 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग अपनी पूरी जमीन पर कृषि कर रहे हैं।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के कारण इनके कृषि की बोनी में विस्तार हुआ है।

- अध्ययन में पाया गया कि जहाँ एक ओर आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने से अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ हुआ है वहीं दूसरी ओर इनको हानि का भी सामना करना पड़ा है। 75 प्रतिशत लोगों ने रासायनिक दवाइयों को हानिकारक बताया और इनमें से 40.2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से रोग बढ़ा है। 26.67 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इसके प्रयोग से भूमि बंजर हुई है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक कृषि पद्धति के उपयोग से होने वाली हानियों से अनुसूचित जाति के कृषक अवगत हैं।
- अध्ययन के दौरान पाया गया कि कृषि करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के रोजगार में 20 प्रतिशत तथा मजदूरी करने वाले लोगों के रोजगार में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर परम्परागत व्यवसाय करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के रोजगार में कमी आई है।
- अनुसूचित जाति के 80 प्रतिशत किसानों को नई कृषि तकनीक की जानकारी रेडियो एवं टी.व्ही. से हुई है और मात्र 20 प्रतिशत किसानों को ही जानकारी ग्राम सेवक से हुई है। अतः ग्राम सेवक

का कार्य रेडियो, टी.व्ही. कर रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से लोगों में कृषि से संबंधित अनेक जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। जिसे एक ग्राम सेवक भी नहीं दे सका।

- अध्ययन के दौरान 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हमारे परम्परागत व्यवसाय निरंतर नष्ट हो रहे हैं और नष्ट होने का कारण पूछे जाने पर 83 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार्य किया कि परम्परागत व्यवसाय नष्ट होने का कारण बाजार में बनी नई वस्तुओं का आ जाना है और भविष्य के बारे में पूछा गया कि आगे आने वाले समय में क्या आपका व्यवसाय उन्नतशील होगा तो 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्नतशील नहीं होंगे। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से अनुसूचित जाति के लोगों के परम्परागत व्यवसाय नष्ट हुए हैं और भविष्य के प्रति भी अपने व्यवसाय को लेकर अत्यंत निराश है।
- अध्ययन के दौरान पाया गया कि कृषि करने वाले अनुसूचित जाति के लोग जिनकी आय 1991 में 3000 से अधिक थी, 60 प्रतिशत थे। आज (2005) में वह बढ़कर 75 प्रतिशत हो गयी है। अतः 15 प्रतिशत लोगों के आय के आकार में वृद्धि हुई है। मजदूरी करने वाले वह लोग जिनकी आय 1991 में 3000 से अधिक थी, वह 50 प्रतिशत लोग थे लेकिन आज (2005) में 3000 से अधिक आय प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़कर 70 हो गया है। अतः 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परम्परागत व्यवसाय करने वाले अनुसूचित जाति के वह लोग जिनकी आय 6000 से अधिक थी उनका प्रतिशत 15 था, लेकिन कृषि से प्राप्त आय में 15 प्रतिशत, मजदूरी से प्राप्त आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि परम्परागत व्यवसाय करने वाले लोगों की आय में 5 प्रतिशत की कमी आयी है।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से जहाँ एक ओर कृषि एवं मजदूरी करने वालों की आय में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर परम्परागत व्यवसाय करने वालों की आय में कमी आयी है। अर्थात् इन पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

- अध्ययन में पाया गया कि 2005 में 1991 की तुलना में सायकल, टी.व्ही. पंखा, कूलर, रेडियो, शैम्पू, फैंसी कपड़े, मोटर साइकिल में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः औसतन 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों का ग्लोबल गुड्स पर व्यय बढ़ा है।
- अध्ययन में पाया गया कि 1991 में अनुसूचित जाति के 56 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते थे लेकिन आज (2005) में यह प्रतिशत घटकर 30 रह गया है। अर्थात् 26 प्रतिशत बच्चे अधिक स्कूल जाने लगे हैं। दूसरी ओर 1991 में प्राइवेट स्कूल जाने वाले 4 प्रतिशत बच्चे थे लेकिन वर्तमान में (2005) 20 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं।

अतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के दौरान अनुसूचित जाति के बच्चों के स्कूल जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर वह बच्चों की शिक्षा में सुधार हेतु अपने बच्चों को प्राइवेट व

पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ने का कारण पूछने पर 20 प्रतिशत लोगों ने आय में वृद्धि, 40 प्रतिशत लोगों ने जागरूकता और 40 प्रतिशत लोगों ने सरकारी स्कूलों में वृद्धि संबंधी कारण बताया। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा में सुधार के लिए जागरूकता का एक बड़ा रोल रहा है।

- अध्ययन के दौरान पाया गया कि 1991 में झाड़फूक एवं जड़ी-बूटी का उपयोग करने वालों का प्रतिशत 70 था, लेकिन आज (2005) यह घटकर 36 प्रतिशत रह गया है अर्थात् 34 प्रतिशत लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता आयी है और वह अंधविश्वास से उभरकर उपर आये हैं।

अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता आयी है।

- अध्ययन में पाया गया कि 1991 में धोती, कुर्ता, पायजामा, पगड़ी पहनने वाले 80 प्रतिशत लोग थे जो आज घटकर 40 प्रतिशत रह गये हैं और 40 प्रतिशत लोगों के कपड़ों के पहनावे में जो बदलाव आया है उसका प्रमुख कारण आधुनिकता (वैश्वीकरण) पाया गया।

- अध्ययन में पाया गया कि अनुसूचित जाति के 90 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो लड़कों एवं लड़कियों के वर्तमान पहनावे से संतुष्ट नहीं थे और उनसे असंतुष्टि का कारण पूछने पर 33 प्रतिशत लोगों ने कहा मर्यादा नहीं झलकती, 22 प्रतिशत लोगों ने कहा कि आधुनिक कपड़े पहनने से लड़के एवं लड़कियाँ सभ्य समाज के नहीं दिखते और 20 प्रतिशत लोगों ने असंतुष्टि का कारण बताया कि ऐसा कपड़ा पहनने से लड़के एवं लड़कियाँ गवार एवं लापरवाह दिखते हैं।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से कपड़ों के पहनावे में जो परिवर्तन आया है उससे अनुसूचित जाति के लोग असहमत हैं।

- अध्ययन में पाया गया कि 1991 में 98 प्रतिशत लोग छुआछूत से प्रभावित थे। 90 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो उच्च जाति वाले लोगों के यहाँ शादी-ब्याह एवं धार्मिक अवसरों पर नहीं जाते थे तथा 1991 के समय कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अनुसूचित जाति के लोगों से विवाह करें। लेकिन वैश्वीकरण के चलते 2005 में काफी परिवर्तन आया है। आज 2005 में मात्र 60 प्रतिशत लोग ही छुआछूत से प्रभावित हैं। 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो उच्च जाति वाले लोगों के यहाँ धार्मिक अवसरों पर जाते हैं तथा 5 प्रतिशत उच्च जाति के लोग ऐसे हैं जिन्हें अनुसूचित जाति के लोगों से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। अतः वैश्वीकरण के चलते 20 प्रतिशत की छुआछूत में कमी आयी है। उच्च जाति के लोगों में अनुसूचित जाति के प्रति मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

उपरोक्त निष्कर्ष के अनुसार कुछ प्रमुख तथ्य उभरकर सामने आये हैं जो निम्नलिखित हैं :-

- वैश्वीकरण के प्रभाव से विवाह संबंधी सोच में परिवर्तन आया है और अब वह बाल-विवाह का विरोध भी करने लगे हैं।
- वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण इनमें शिक्षा संबंधी सोच में परिवर्तन आया है अर्थात् अब वह अधिक से अधिक शिक्षा अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं।
- वैश्वीकरण के कारण इनके कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है अर्थात् भूमि की उर्वरता में कमी, फसलों पर रोग एवं अनाज खाने वाले व्यक्तियों पर भी रोग बढ़ा है।
- वैश्वीकरण के चलते उत्तरदाताओं को कृषि से संबंधित अनेक जानकारियाँ दूरदर्शन एवं रेडियो से प्राप्त हुई है जिसे एक ग्रामसेवक भी नहीं दिला पा रहे हैं।
- वैश्वीकरण से उत्तरदाताओं के परम्परागत व्यवसाय तीव्रगति से नष्ट हुए हैं तथा भविष्य में भी अपने व्यवसाय के नष्ट होने के प्रति चिंतित हैं।
- वैश्वीकरण का 40 वर्ष के ऊपर वाले लोगों पर बहुत घातक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इस उम्र के लोगों के परम्परागत व्यवसाय नष्ट हुये हैं और इनका रोजगार घट गया है।
- परम्परागत व्यवसाय करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के रोजगार में कमी आई है।
- वैश्वीकरण के कारण इनके कृषि बोनी में विस्तार हुआ है।
- वैश्वीकरण से उपभोक्तावादी संस्कृति को तीव्र गति से बढ़ावा मिला है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. दत्त एवं सुन्दरम : 'भारतीय अर्थव्यवस्था', रमेशचन्द्र प्रकाशन, दिल्ली।
2. गोयल अनुपम, 2003, 'व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था' शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर।
3. मून, बसंत (संपा) (1987), 'डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर रायटिंग एण्ड स्पीचेस', वाल्यूम-3
4. झिंगन एम.एल, 'आर्थिक विकास एवं नियोजन', रमेशचन्द्र प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. वर्मा, शंकरलाल, 'भारत में उपभोक्ता आंदोलन', योजना, मार्च 2003
6. सिंह नरेन्द्र एवं देवीसीमा, 'भूमंडलीकरण के दौर में शिक्षा पर प्रभाव' कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2004
7. शर्मा, जे.के. डब्ल्यू. टी.ओ. और जनसमान्य, योजना, अक्टूबर 2004
8. सिद्धकी आफताब अहमद, 'उदारीकरण और श्रम सुधार', कुरुक्षेत्र, मई 2003
9. बघेल बाल मुकुन्द, '21वीं सदी में दलितों की दशा एवं दिशा' कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2004

10. जाधव, नारेन्द्र 2004, 'चौराह पर दलित', सम्यक भारत, साप्ताहिक
11. पद्मावती 1991, 'ग्रामीण निर्धनता', तिवारी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
12. मून, बसंत (सप.) 1998 'डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर रायटिंग एण्ड स्पीजेस', वाल्यूम-3
13. Rangahar S. "Globalization : Issues & Challengers " Southern Economist Vol. 44 Nov. 2005
14. Mallik M & Jeka J " Globalization & Development : Disaggregate Dynamics"
15. Bhambhri, C.P. Reservation and Castrism, Economic & Political weekly Feb. Marchy 4, 2005
16. Globalization and Sustainable Human Development, Pyle, L Jean Development Vol. 45 Sep. 2002
17. Dubey Muckun, " WTo's Hong Kong Conference an Apprised" Economic & Political Weekly. Jan 3-17